

सामाजिक समावेशन: शिक्षा में प्रतिमान विस्थापन भूपेन्द्र सिंह¹, डॉ. पतंजलि मिश्र²

¹(शोध छात्र), शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत.

²(सहायक आचार्य), शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत.

सारांश

यदि समसामयिक संदर्भों में एक शिक्षक विविधता की खोज करना चाहता है तो उसे निश्चित ही रचनात्मकता, एकाग्रता, अतिरिक्त क्षमताएं और साहस जुटाने की आवश्यकता है। हाल ही में भारत में असहिष्णुता पर बहस शुरू हुई और राजनैतिक दलों ने अपनी व्यक्तिगत परिभाषाओं के जरिये वोट भुनाने वाली राजनीति की आड़ में फूट डालो राज करोके सूत्र वाली गणितीय गणनाओं से बहलाने वाला अर्थशास्त्र रच डाला। किसी ने इसे धर्म विरोधी तो किसी ने भाषायी द्वन्द्व से जोड़कर प्रस्तुत किया। प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों में कहीं न कहीं धर्म विरोधी स्वर उठने की खबरें छपती रहती हैं। आजकल ऐसी घटनाएं किन्ही सरहदी सीमाओं पर नहीं बल्कि शिक्षा के उन मंदिरों में ज्यादा घटित होती दिखाई देती हैं जहाँ धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है और धर्म को कर्तव्य से स्थानांतरित किया जाता है। ये वही स्थान हैं जहाँ विभिन्नधर्म, वर्ण, रंग, रूप अथवा ये कहे की विभिन्न संस्कृतियों का मिलाप होता है। अतः एक शिक्षक स्वयं विविध संस्कृतियों का स्पष्ट दर्पण होना चाहिए। तभी वह आदर्श रूप में बहु-सांस्कृतिक कक्षा-कक्ष तैयार करने में सफल होगा। यह शोध पत्र विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ मिलाकर राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार करने के विकल्पों पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द : विविधता, बहु-सांस्कृतिक, शिक्षक, समावेशी समाज, सामाजिक समावेशन

I प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रभाव बालक के बौद्धिक चिंतन, साम्य दृष्टिकोण तथा निर्गत व्यवहार में दिखाई पड़ता है। यही उसकी आदतों के निर्माण की प्रक्रिया का वाहक है। जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, तथा व्यवहार को एक विशेष सौंचे में ढाला जाता है। गाँधी जी के शब्दों में "तुम्हारी शिक्षा सर्वथा बेकार है यदि उसका निर्माण सत्य एवं पवित्रता की नींव पर नहीं हुआ है। यदि तुम अपने जीवन की पवित्रता के बारे में सजग नहीं हुए तो सब व्यर्थ है। भले ही तुम महान विद्वान ही क्यों न हो जाओ।" (महात्मा गाँधी-टू दी स्टूडेंट्स, पृष्ठ सं. 230)

दुनियाभर में आज विद्यालयों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे विद्यालयों की जहाँ बालक को सामाजिक मूल्यों को जीने का अवसर मिलता हो और सार्वभौमिकरण का संप्रत्यय वहाँ के वातावरण में जीवनदायिनी वायु की भांति घुला हो। बहुसांस्कृतिक शिक्षा समान अवसरों को सीखने और जीने के लिए एक ऐसा ही नाम है। जिसका उद्देश्य बिना किसी आयु, धर्म, जाति, लिंग, सीमाओं और संस्कृतियों की परवाह के प्रत्येक को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है। एक नवजात बालक पूर्णतः असहाय तथा असामाजिक होता है। वह न शब्दों की भाषा जानता है और न ही संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। जो अभी मित्रता और शत्रुता से परे है। उसे रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का भी आभास नहीं होता है और न ही उसमें किसी आदर्श तथा मूल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। परन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होने लगता है, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधनों के प्रभाव से उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है। इन सबसे परे उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होने लगती है। इसी सामाजिक विकास से वह अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को तो

समझता ही है साथ में अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक होता है। परन्तु इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्थितता और निरन्तरता प्रदान करने के लिए उपयोगी और व्यवस्थित शिक्षा की महती आवश्यकता है। सत्य तो यह है कि शिक्षा माता की तरह लालन-पालन, पिता की तरह मार्ग-दर्शन और पत्नी की तरह कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाने वाली है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी-पीढ़ी को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं से परिपूर्ण कर सांस्कृतिक सम्पत्ति को हस्तांतरित करता है। परन्तु इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी है शिक्षक पर। जो शिक्षा के प्रचार और प्रसार का संवाहक होता है। आचार्य चाणक्य का यह कथन कि *शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता प्रलय और निर्माण तो उसकी गोद पलते हैं।* शिक्षक की सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

II अधिगम-कर्ता की प्रकृति को समझना

एक सही शिक्षक वही है जो देश, काल, परिस्थितियों और विविधताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराए। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अधिगम-कर्ता को समझे। एक कक्षा में शिक्षक को विभिन्न धर्म, जाति, आयु, लिंग और संस्कृतियों के बालक मिलते हैं। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक अध्यापन कराता है। कभी-कभी तो इन्हीं कक्षाओं में गंदबुद्धि और दिव्यांग बालक भी प्रवेश पाते हैं। शिक्षक अपने विवेक और ज्ञान से प्रत्येक बालक क्रियाकलापों की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है।

III अनौपचारिक ज्ञान में वृद्धि करना

कक्षा और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के स्थान हैं। परन्तु शिक्षक स्वतंत्र है जो कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी ज्ञान दे सकता है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तित्व निर्माण, योग शिक्षा, शारीरिक विकास, आचरण के नियम, दैनिक जीवन के नियम, विद्यार्थी जीवन के नियम, अभिवादन के तरीके आदि से बालक अपने स्वयं के विचार निर्माण करना सीखता है। इससे उन्हें समाज एवं मूल्य सापेक्ष अच्छे-बुरे, सही-गलत का ज्ञान होता है जो उनके मनुष्य होने और मानवता का आचरण करने को प्रेरित करता है। विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना सभाओं के द्वारा बालकों में सांस्कृतिक विरासत का विकास किया जाना चाहिए। बाल सभाओं के माध्यम से बालक में गीत, कविता, संगीत, कहानी आदि के माध्यम से रचनात्मकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

IV बालकों की आवश्यकतानुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना

अक्सर यह होता है कि विभिन्न विशेषज्ञ बैठकर स्वतः ही पाठ्यचर्या निर्धारित कर लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए की वह पाठ्यचर्या किसके लिए बनाई जा रही है और उसका अनुप्रयोग क्या होगा। अर्थात् उसका व्यावहारिक निरूपण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विषय-वस्तु, शिक्षण-विधि, तकनीकी, मूल्यांकन के तरीके भी निर्धारित किये जाने चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को बालक को एक स्वतंत्र पृथक इकाई समझकर सिखाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर यशपाल द्वारा 1993 में दी गई रिपोर्ट *शिक्षा बिना बोझ के* का वास्तविक अर्थ है कि बालकों को इस प्रकार पढ़ाना की उन्हें शिक्षा बोझिल न करने लगे। इसके लिए विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि बालक अपने चिंतन केद्वारा कर्म की महत्ता को समझकर स्वयं निर्णय-निर्माण करने और निर्णयों की क्रियान्विति को सीखने का प्रयास करे।

V कक्षा-कक्ष व्यवस्था और संचालन

बहु-सांस्कृतिक कक्षा का संचालन बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसीलिए एक शिक्षक कैसे सभी बालकों को रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखे जबकि वह किसी अन्य समूह के साथ कार्य कर रहा है अर्थात् समूह निर्माण से लेकर क्या? कैसे? और कब सिखाना है? और आकलन कैसे करना है? आदि की रूपरेखा बनाने के लिए प्रत्येक पहलु पर सोचना होता है। कक्षा संचालन और व्यवस्था बनाने हेतु निम्न कार्य एक अध्यापक कर सकता है -

(क) समूह निर्माण और सञ्चालन- इसके लिए बालकों के पूर्व-ज्ञान, रुचियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर स्तर के अनुरूप समूह निर्माण किया जाना चाहिए और उनकी बैठक व्यवस्था से लेकर उनके बातचीत, चर्चा,

कविता-पाठ, कहानी, जीवनी इत्यादि के चयन में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

(ख) अनुकूलित वातावरण का निर्माण- एक अध्यापक ऐसा क्या करे कि विद्यालय सुरक्षित, सहज और आकर्षक स्थान बन जाए। विद्यालय में अनुशासन के साथ ही दण्ड और भय से मुक्ति अच्छे सम्बन्धों के निर्माण में सहायक हैं। शिक्षक-छात्र सम्बन्ध स्नेहपूर्ण और आत्मीयता वाले हों, वहीं विद्यालय जनतांत्रिक समाज का जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत करता हो।

(ग) स्व-निर्णयन और क्रियान्वन का प्रेरक- शिक्षक को चाहिए की कक्षा और विद्यालय स्वतंत्र-चिंतन एवं स्व-अनुशासन पर जोर देते हों ताकि निर्णय-निर्माण और जोखिम उठाने का साहस बालक कर सके।

(घ) प्रतियोगी वातावरण से मुक्त- कक्षा और विद्यालय में तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा का वातावरण न हो बल्कि सहयोग और समानता का समावेश हो।

(ङ) परियोजना निर्माण- शिक्षक समय-समय पर परियोजनाओं के माध्यम से छात्रों को सहयोग व मिलकर कार्य करने की भावना और अच्छी अध्ययन आदतों का विकास करने में मदद कर सकता है।

(छ) सम्प्रेषण कौशलों का विकास- कक्षा में विषय-वार्ता, वाद-विवाद, परिचर्चा, कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से शिक्षक स्वतंत्र चिंतन के द्वारा सम्प्रेषण कौशलों का विकास कर सकता है।

(ज) कक्षा-कक्ष में पाठ्य क्रियाओं में परिवर्तन- लगातार एक ही विधि द्वारा अध्ययन से बालक शिक्षा को बोझ समझने लगते हैं और यह उनके कक्षा एवं विद्यालय से पलायन का कारण भी बन सकता है। अतः एक अनुभवी अध्यापक कभी-कभी कक्षा-कक्ष को ही खेल का मैदान मानकर शतरंज, एकांकी अभिनय और दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न प्रयोगों (जैसे सिक्के के नीचे रखे कागज को बिना सिक्का हिलाए निकालना, माचिस की डिबिया से टेलीफोन बनाना, ग्रहों की स्थिति को समझने हेतु बालकों को ग्रहों के अनुसार ही खड़ा करना और घूमने हेतु दिशा निर्देश देना आदि) को खेल-खेल में समझाकर बालकों के अध्ययन को मनोरंजक बना सकता है।

VI फिल्मों/चलचित्र के माध्यम से शिक्षण

अवधारणा है कि ज्ञान के स्रोत के रूप में चित्र शब्दों से ज्यादा असरकारक होते हैं। परन्तु बात चलचित्र की हो तो रुढ़िवादी समाज की यह अवधारणा रही है कि फिल्में देखना अच्छी आदत नहीं है और इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई मायनों में यह बात सत्य भी है लेकिन इसके विपरीत आधुनिक समय में फिल्में बालकों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनी हैं। *तारे जमीं पर*, *श्री इंडियट्स*, *पाठशाला*, *लाइफ ऑफ पाई*, *चाक एन डस्टर* आदि जैसी भी

फिल्में हैं जो शिक्षा और शिक्षक के लिए कभी बालक एवं शिक्षक के व्यवहार, उनके कर्तव्यों, शिक्षक एवं विद्यालयों की कार्यप्रणाली, अध्ययन एवं अध्यापन के तरीकों, ज्ञान ग्रहण करने की नयी-नयी युक्तियों की खोज, समय के सदुपयोग, प्रतिभाओं की खोज, बालक के अन्दर झोंकने की प्रवृत्ति आदि के बारे में स्पष्ट विवरण देती हैं। कुछ फिल्मों तो गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रदत्त सूत्र के सिद्धांत पर ही आधारित हैं जैसे *लाइफ ऑफ पाई* जिसमें कैसे एक व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर बीच समुद्र वह सब स्वतः ही सीख लेता है जिसके लिए महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है अर्थात् कभी दृढ़ निश्चय और कभी आवश्यकता को भुनाने के तरीके बालक को सीखने की प्रेरणा देते हैं। ब्लैक फिल्म इस बात को प्रेरित करती है कि शारीरिक अक्षमता ज्ञान ग्रहण करने अथवा आगे बढ़ने को नहीं रोक सकती, केवल साहस करने और जोखिम उठाने की जुगत लगाने की आवश्यकता है। *फिल्म तारे जमी* पर इस बात समझाने का प्रयास है कि कैसे एक शिक्षक को अपने छात्रों को जानने की कोशिश करनी चाहिए और कैसे उनके स्वतः सीखने को प्रेरित करना चाहिए। एन.सी.ई.आर.टी. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा कक्षा-7 हेतु प्रकाशित पुस्तक *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रथम अध्याय समानता* में 1975 में बनी फिल्म *दीवार* के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण पर जोर दिया गया है।

VII त्रिभाषा सूत्र का उद्गम

1961 में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में त्रिभाषा सूत्र विकसित हुआ। जिसमें 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा सुधार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 में लागू किया गया। परन्तु प्रभावी रूप न ले पाने के कारण इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में पुनः दोहराया गया। इसके तहत प्रथम - क्षेत्रीय अथवा मातृ-भाषा, द्वितीय - हिन्दी और तृतीय - अंग्रेजी को प्रधानता दी गई। आज एक अध्यापक को भी बहु-भाषी होना चाहिए। जिसके लिए उसे क्षेत्रीय और हिन्दी भाषा के अतिरिक्त तृतीय भाषा जिनमें अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू अथवा कोई विदेशी भाषा भी आनी चाहिए ताकि सार्वभौमिकरण के सिद्धांत को फलित किया जा सके। साथ ही इससे बालकों में विभिन्न भाषाओं के प्रति राम्मान की भावना उत्पन्न होती है।

VIII सह-शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन

विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक को अपने अन्दर छुपी हुई समस्त शक्तियों का आभास कराया जाता है और शिक्षक उसके अन्दर छुपी हुई शक्तियों का स्मरण कराता है। शिक्षक उन शक्तियों को बाहर निकालने के लिए कभी-कभी किताबों से हटकर जैसे शैक्षिक-ड्रम, अभिनय, कभी गायन, कभी वाद-विवाद तो कभी खेल-कूद जैसी युक्तियों का सहारा लेता है। ऐसा करते समय शिक्षक का उद्देश्य बालक को कई संस्कृतियों से सरोकार कराना होता है और उसे वह

यह समझाने की कोशिश करता है कि विविधता में एकता क्या होती है और जीवन में श्याम-श्वेत के बजाय और भी रंग हैं जिसे मनुष्यता अथवा मानवता नाम से जाना जाता है। इस तरह शिक्षक कक्षा के अन्दर भी और बाहर भी बहु-सांस्कृतिक समाज की नींव तैयार करता है। कहावत है पहला सुख निरोगी काया। अतः अध्यापन के साथ ही बालकों को यदि खेलने को भी समय दिया जाए तो शारीरिक विकास के द्वारा उनके मानसिक विकास को भी बल मिलता है क्योंकि खेलने से बालकों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के सही-सही कार्य करने से सभी हामीनों का सही रूप से स्त्रवण होता है जो उनके तनाव को कम करता है और शरीर सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। साथ ही एकता और सहयोग की भावना का जितना विकास खेल के मैदान में हो सकता है उतना और कहीं नहीं हो सकता है। विद्यालय का रंगमंच वह स्थान है जहाँ बालक अपने अन्दर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का कार्य कर सकता है। (एन.सी. एफ.-2005) में प्रतिभा के प्रदर्शन और अवसर प्रदान करने को लेकर कहा गया है कि *अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बॉटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए।*

IX मूल-कर्तव्यों और मूल-अधिकारों की शिक्षा प्रदान करना

समस्त विषय-वस्तु पाठ्यक्रम में आवश्यक नहीं प्रत्येक स्तर पर समावेशित की जावे। परन्तु बालकों को ज्ञान देने वाली और उनके हित में हो ऐसी बातें बताने में शिक्षक को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उनके आवश्यक और जानने योग्य अधिकार क्या हैं? अथवा संविधान ने उनके लिए क्या प्रावधान किये हैं। जैसे भारतीय संविधान में बाल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था निम्नांकित अधिकारों के प्रसंग में की है -

- (i) अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)
- (ii) अनुच्छेद 21 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार)
- (iii) अनुच्छेद 23 (शोषण के विरोध का अधिकार)
- (iv) अनुच्छेद 32 (धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार)

उपयुक्त अधिकारों के अलावा भी कुछ मौलिक अधिकार बालकों के लिए हैं। जैसे कोमल बच्चों के साथ दुराचार न हो तथा आर्थिक कारणों से बालकों का सस्ते श्रमिकों के रूप में, घरेलू नौकरों के रूप में शोषण अथवा उनका यौन-शोषण न हो। एक शिक्षक को पाठ्यक्रम से हटकर भी पढ़ाने की जुगत करनी चाहिए।

X उच्च नैतिक गुणों का विकास

आज बालकों में लगातार नैतिक गुणों का हास होता जा रहा है जिसका प्रमुख कारण तो परिवारों का विखंडन ही है परन्तु शिक्षकों ने भी नियमों का बहाना लेकर संस्कारों का पाठ पढ़ाना छोड़ दिया है। एक समय था जब शिक्षक के गली, मोहल्ले से गुजरने पर बालक अपना खेल बीच में ही छोड़कर घरों में जा छुपते थे। शिक्षक के चरण स्पर्श के साथ ही विद्यारम्भ का कार्य होता था और शिक्षा बिना किसी भेद के शिक्षा दिया करते थे। न कोई छोटा था, न कोई बड़ा, न जात-पात, न अमीर-गरीब। यह सब था क्योंकि शिक्षक अपने बालकों में उच्च नैतिक गुणों का विकास करते थे। अतः आज फिर से वही सब कुछ दोहराने की आवश्यकता है ताकि समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके।

XI शैक्षिक सेवा प्रावधानों की शुरुआत

शैक्षिक सेवा प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी एजेंसीज जैसे शिक्षा मंत्रालय को निजी विद्यालयों के साथ मिलकर स्थान, संसाधनों और व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए। इसके लिए निम्न कदम उठाये जा सकते हैं –

- निजी विद्यालयों और सरकार के बीच गरीब तबके वाले क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्थाओं के सञ्चालन हेतु तय संविदा होनी चाहिए और निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
- सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को घर-घर जाकर बालिकाओं के विद्यालयों में प्रवेश हेतु जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
- प्रत्येक विद्यालय में बालकों पर बालिकाओं का अनुपात तय करना चाहिए और ऐसे विद्यालयों (निजी और सरकारी) को जिनमें तय अनुपात से कम प्रवेश है उन्हें ही समानीकरण के द्वारा मिलाया जाना चाहिए।
- ऐसे विद्यालय जिनके शिक्षक सुविधाओं के प्रति जवाबदेही नहीं रखते उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
- विद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूपआदि के आधार पर भेद करने वाले शिक्षकों के प्रति तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जानी चाहिए।
- शिक्षकों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए।

(vii) निजी विद्यालयों द्वारा लगातार बढ़ाई जाने वाली मनमानी शुल्क का विरोध सर्वप्रथम उन्हीं विद्यालयों के शिक्षकों को करना चाहिए।

XII शिक्षक और शोध प्रवृत्ति

वर्तमान समय में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से दुनियाभर में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा-शास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में हुए शोध और उनके परिणामों से अवगत हुआ जा सकता है। चूंकि एक शिक्षक को हमेशा से गतिशील बने रहने की अति-आवश्यकता रही है। इसके लिए एक शिक्षक को यह जानना जरूरी है की इन शोधों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया किया जा सकता है। परिवर्तन शनैः शनैः होते हैं अचानक नहीं, परन्तु जो अचानक दिखाई देता है वह विरोधाभास हो सकता है। अतः एक शिक्षक को भी धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने ज्ञान को नवाचारों से परिमार्जित करते रहना चाहिए तभी वह समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है।

XIII निष्कर्ष

प्राचीन अवधारणा के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल शिक्षक और विद्यालय पर समझा जाता था। परन्तु आधुनिक धारणा के अनुसार परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्र की अनौपचारिक जिम्मेदारी है की वे विद्यालय जैसे औपचारिक साधनों के साथ मिलकर विविध संस्कृतियों का विकास करने में मदद करें। (एन. सी.ई.आर.टी., 2005) के अनुसार *समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें। शिक्षक और विद्यालयों को इस कदर सुदृढ़ और सक्षम बनाने के प्रयास किये जावें जिससे कि वे एक समावेशी समाज का निर्माण करने वाली चिंतन धारा का विकास कर सकें।*

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1] NCERT: Cartoon Controversy Still Haunts. (2013, March 26). Retrieved March 3, 2016, from [www.bhaskar.com: http://www.bhaskar.com/news/NAT-ncert-cartoon-controversy-still-haunts-4218472-NOR.html](http://www.bhaskar.com/news/NAT-ncert-cartoon-controversy-still-haunts-4218472-NOR.html)

- [2] Controversial cartoons in NCERT textbooks. (n.d.). Retrieved March 3, 2016, from <http://www.ndtv.com: http://www.ndtv.com/photos/news/controversial-cartoons-in-ncert-textbooks-13029#photo-169978>
- [3] Craig, G. (2003, November 9). Public Lecture. Globalization, multiculturalism and community development. Hong Kong: City University of Hong Kong.
- [4] Jensen, L. A. (2003). Coming of Age in a Multicultural World: Globalization and Adolescent Cultural Identity Formation. *Applied Development Science*, 7(3), 189-196.
- [5] Kolb, Judith A., Lin, Hong and Frisque, Deloise A. (spring, 2005). Teaching Ethics in a Multicultural Classroom. *Ethics Journal*, 5(2), 13-30.
- [6] Sleeter, C. E. (2001). *Culture, Difference & Power*. New York: Teachers College Press.
- [7] University of Colorado. (1999). On Diversity in Teaching and Learning: A Compendium. Faculty Teaching Excellence Programme (pp. 1-56). Boulder (Colorado): Office of Academic Affairs (University of Colorado).
- [8] Vertovec, S. (2001). Transnational Challenges to the 'New' Multiculturalism. The ASA Conference (pp. 2-23). University of Sussex.
- [9] Ya-Huei and Hsu. (2014). Multicultural Education for Young Children-beginning from Children's Picture Books . *International Journal of Educational Planning & Administration*, 4(1), 79-84
- [10] एन.सी.ई.आर.टी. (2007). सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2. नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.
- [11] MHRD. (2005). Rights to Education Bill 2005 (Drafts). New Delhi: Ministry of Human Resource Development. doi:www.education.nic.in/elementary/Rightto EducationBill2005.pdf
- [12] एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005. नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.